मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 88वीं बोर्ड बैठक दिनांक 09.07.2015 की कार्यवाही

आज दिनांक 09.07.2015 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 88 वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सी0एस0 नपलच्याल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानसुार सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

उपस्थितिः–

1	श्री सी0एस0 नपलच्याल, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,	अध्यक्ष
2	श्री आर0मीनाक्षी सुन्दरम, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3	श्री वी0षणमुगम अपर सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	सदस्य
4	श्री नितिन भदौरिया,मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।	सदस्य
5	सुश्री झरना कमठान अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देहरादून।	सदस्य
6	श्री एस0 के0 पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	सदस्य
7	श्री एन0 एस0 बिष्ट, अधीक्षण अभियंता, जल निगम, देहरादून।	सदस्य

अन्य उपस्थितिः–

1. श्री पी0सी0 दुम्का, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
2. श्री एच0एस0बोनाल, मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
3. श्री अनिल त्यागी, अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
4. श्री आर0जी0सिंह, नगर नियोजक, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा पूछा गया कि गैर सरकारी सदस्य बोर्ड बैठक मे उपस्थित नही है जिसके सम्बन्ध मे अवगत कराया गया कि उनका कार्यकाल माह जनवरी मे समाप्त हो गया है जिस कारण उनको आमंत्रित नही किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गैर सरकारी सदस्यो को नामित करने हेतु शासन को पत्र लिखा जाये। इसके पश्चात् पूर्व में प्राप्त अनुपालन आख्या के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया तथा प्राधिकरण की 87 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या के विषय कमाक 1 के सम्बन्ध में मुख्य नगर अधिकारी को निर्देश दिये गये कि छत्तीसगढ़ में न्यू रायपुर शहर बनाया गया है, इसके अध्ययन के लिए एक भ्रमण कार्यक्रम माह अगस्त में रख लिया जाये जिसमें आयुक्त, उपाध्यक्ष एवं सचिव आवास को भी सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाये। मुख्य नगर नियोजक को निर्देशित किया गया कि नगर नियोजन से सम्बन्धित अखिल भारतीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन आगामी 03 माह के अन्तर्गत करा लिया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की 87 बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या मे जिन प्रकरणों में यह लिखा गया है कि बोर्ड के निर्णयानुसार कार्यवाही गतिमान है, ऐसे समस्त प्रकरणों का निस्तारण एक माह में अवश्य कर लिया जाये और यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि अगली बैठकसे पूर्व गत बैठको के निर्णयो का अनुपालन कर दिया जाये। प्राधिकरण की 87 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयीः–

विषय कमांक 1 :– वित्तीय वर्ष 2014–15 के वास्तविक आय–व्यय का अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्यय का अनुमानित प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2014–15 के वास्तविक आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 के प्रस्तावित आय–व्यय प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया ।

विषय कमांक 2:– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011(संशोधन 2015) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

संशोधित उपनियम 2012 को प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अंगीकृत किये जाने हेतु सर्वप्रथम सहमति प्रदान की गयी एवं प्रस्तावित संशोधन अध्याय 4 के बिन्दु 4.3 तथा अध्याय 5 (ii) पार्किंग मानको के बिन्दु 5 पर शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

विषय क्रमांक 3:– मसूरी देहरादून विकास क्षेत्रान्तर्गत 17 ग्रामों के भौतिक सर्वेक्षण उपरान्त आधार मानचित्र **(Base Map)** तैयार कराने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात आंकलन के बढ़े क्षेत्रफल के कारण विचलन पर 17 गांवों की महायोजना हेतु सम्बन्धित फर्म से भौतिक सर्वेक्षण उपरान्त आधार मानचित्र तैयार कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 4:– रिस्पना तथा बिंदाल नदियों के **River Front Development** में प्रभावित होने वाली मलिन बस्तियों को स्थानांतरित किये जाने हेतु ट्रांसपोर्ट नगर तथा आम वाला तरला में जनसामान्य हेतु प्रस्तावित आवासीय योजना **EWS** एवं **LIG** का विक्रय मूल्य रु0 5 लाख तथा 10 लाख किये जाने के सम्बन्ध में एवं जनसामान्य हेतु ट्रांसपोर्ट नगर में **EWS** एवं **LIG** की परियोजना को **Viable** बनाने के लिए **MIG** के निर्माण किये जाने हेतु ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम की 1619 वर्ग मीटर भूमि को सर्किल रेट पर क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 5:– इन्दिरा मार्केट रि–डेवलपमेंट परियोजना हेतु इन्दिरा मार्केट के सम्पूर्ण क्षेत्र, पुराना बस अड्डा क्षेत्र एवं प्राधिकरण की पार्किंग क्षेत्र 1222 वर्गमीटर को हस्तांतरण उपरान्त परियोजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया गया व निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में अनुमोदन से पूर्व सचिव, एम0डी0डी0ए0,अपर जिलाधिकारी प्रशासन देहरादून, नगर नियोजक व नगर निगम के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर नजरी नक्शा सहित संक्षिप्त आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

विषय कमांक 6 :—**ISBT** हेतु अधिग्रहण की गयी भूमि में से **ISBT Affordable** आवासीय योजना बनने के उपरान्त अवशेष भूमि 3.65 हेक्टेयर के पहले भाग में 1.95 हेक्टेयर की भूमि पर लोक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) पर **PRT** परियोजना एवं दूसरे भाग में 1.7 हेक्टेयर की भूमि पर **HIG** आवासीय योजना लाये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी व सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय कमांक 7— अवस्थापना मद से विकास कार्यो को सम्पादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय दिया गया कि बोर्ड की संस्तुति के साथ अनुमोदन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

विषय कमांक 8— छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन में दिनांक 01—01—2006 के पूर्व रू0 6500—200—10500 के वेतनमान को रू0 7450—225—11500 वेतन बैण्ड 2 रू0 9300—34800 ग्रेड पे 4600—00 में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय कमांक 9 — मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में लिपिकीय संवर्ग के पद नाम परिवर्तन व एल0टी0सी0 लागू करने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान बिन्दु संख्या—01 की कार्योत्तर स्वीकृति एवं यात्रा अवकाश का लाभ नियमित कर्मचारियों को शासन के प्राविधानों के अनुसार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 10—प्राधिकरण बोर्ड की ८७ वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 23 में संशोधन के सम्बन्ध में .

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

विषय क्रमांक 11–जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त प्रिटिंग प्रेस के 03 प्रकरणों में अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् स्वीकृत मानचित्र/ प्राधिकरण गठन से पूर्व निर्मित भवन पर प्रस्तावानुसार एवं बिन्दु संख्या 03 पर प्रिन्टिंग प्रैस का अनापत्ति मानचित्र स्वीकृति/शमन के प्रतिबन्ध के साथ दिये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया।

विषय क्रमांक 12:– मानचित्र संख्या सी–0062/2014–15–आरई–1 के अन्तर्गत खसरा नं0 673, 674, 675, 676, 677 एवं 706 स्थित मौजा पौंधा पछवादून श्रीमती ऊषा शर्मा, श्री नवीन शर्मा एवं श्री अनिरूद्ध रैथवान द्वारा होटल निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के दौरान मानचित्र स्वीकृति पर इस निर्देश के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी कि बाउण्ड्रीवाल का निर्माण रोड वाइण्डिंग के पश्चात् किया जायेगा और निर्धारित मानको का पालन किया जायेगा।

विषय क्रमांक 13– श्री विजय चन्देल एवं श्रीमती शकुन चन्देल मानचित्र संख्या **C-0233/14-15-RE1** द्वारा भूमि खसरा नं0 303 (मि0) नया नं0 707, 708, 720क, 721क, एवं खसरा नं0 300 नया नं0 721क मौजा अजबपुर खुर्द देहरादून पर होटल निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि आवेदक निर्धारित मानको का पूर्णतया अनुपालन करेगा।

विषय क्रमांक 14:– पत्रावली संख्या सी–0009/15–16 श्रीमती सोनम शर्मा पत्नी श्री अभिषेक शर्मा द्वारा खसरा नम्बर 1796 व 845 मौजा किद्दूवाला रायपुर देहरादून पर पैट्रोल फिलिंग स्टेशन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात निर्णय लिया गया कि सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, देहरादून स्थलीय निरीक्षण करेगें व उक्त संयुक्त स्थलीय आख्या के साथ प्रस्ताव को आगामी बोर्ड बैठक मे प्रस्तुत किया जाये।

विषय कमांक 15:— मसूरी विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

प्रस्तुत परियोजनाओं का संज्ञान लिया गया।

अनुपूरक:— उपरोक्त एजेण्डा बिन्दुओ के अतिरिक्त बैठक में अनुपूरक एजेण्डा भी सम्मिलित किया गया जिसके अनुसार:—

अनुपूरक विषय कमांक:1 वाद संख्या सी—460/एस—3/2010 के अर्न्तगत खसरा नम्बर 636 एवं 637 मौजा रायपुर में वैडिंग प्वाईन्ट बिल्डिंग की शमन/स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

23/07/15

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल/
अध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।